कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -2710 /12-1-(2) अल्मोड़ा, दिनांक 29/3/2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

विषय :- जनपद– चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चतुरकोट– कफल्टा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 45918/2020)।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 634/12–1 दिनांक 26.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न नक्शों में प्रस्तावित मोटर मार्ग को लाल स्याही से अंकित है, जो आरक्षित वन भूमि पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0– 14 में पड़ रहा है तथा एक छोटे से अंश में पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0– 12 में प्रदर्शित हो रहा है तथा शेष मोटर मार्ग पुनः पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0– 14 में आ रहा है। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वन भूमि विवरण में यह अंकित नहीं है। अपितु पूर्व प्रस्तावित मार्ग का संरेखण पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0 12 में (प्रपत्र–2.15) है, जिससे प्रस्तावित संरेखण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

इसके साथ ही आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग में बांज वृक्षों की कुल सं0 255 दिखायी गयी है, जिसमें सिविल भूमि में भी आरक्षित वन भूमि के कम्पार्टमेंट (गोलडांड क0सं0– 15, 5, 11, 10, 12,13) दिखाये गये है, जिससे स्थिति अस्पष्ट हो रही है। जिस कारण प्रस्ताव की 4 प्रतियां लौटायी जा रही है।

अतः उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए मोटर मार्ग के संशोधित नक्शे, चार्ट विवर्णिका इत्यादि सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– प्रस्ताव की 4 प्रतियां।

भवदीय,

O/C

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा